तृतीय अन्विति

(History of Epigraphical Studies in India) भारत में अभिलेखशास्त्र विषयक अध्ययन का इतिहास

अभिलेखशास्त्र के अध्ययन के स्वर्ण युग का प्रारम्भ 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि के पढ़ने के साथ हुआ। अभिलेखशास्त्रीय अध्ययन तीन चरणों में किया जाता है-

i. प्रस्तर व ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण अभिलेखों का सर्वेक्षण, प्रलेखन (Documentation) प्रतिचित्रण (estampaging)
ii. मुद्राओं का सर्वेक्षण, और प्रलेखन
iii. लेखों का स्पष्टीकरण (पढ़ा जाना, dociphermant) शोध, अध्ययन तथा प्रकाशन

भारतीय पुगतत्त्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना (1861 ईस्वी) के पश्चात् अनुवाद तथा लिप्यंतरण के साथ अभिलेखों के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो गया। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी है जो पुरातत्त्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। 1871-1885 में अलेक्जेंडर कनिंघम इस विभाग के प्रथम महानिदेशक (Director general) थे।

भारतीय अभिलेखशास्त्र के अध्ययन को चार्ल्स विल्किन्स, पंडित राधाकांत शर्मा, बैंबीगटन, जेम्स टॉड, कनिघंम, फ्लीट, ब्यूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हुल्श, डी०सी० सरकार, डॉ० अहमद हसन दानी आदि विद्वानों ने गति प्रदान की।

1832 ईस्वी में जरनल ऑफ द एशियाटिक सोसाईटी ऑफ़ बंगाल पत्रिका के प्रकाशन से अभिलेखशास्त्र के अध्ययन का प्रचार होने लगा। तदनन्तर शिलालेख,

Scanned with CamScanner

दानपत्र तथा सिक्कों के प्रति विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जनरल कनिंघम की अध्यक्षता में 'आर्क्योलोजिल सर्वे' नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसमें प्राचीन शोध कार्य की पर्याप्त उन्नति हुई। 1872 ईस्वी में डॉक्टर बर्ग्रेस ने इंडियन एंटीक्वेरी (Indian Antquary) नामक भारतीय प्राचीन शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जिसमें प्राचीन शोध विषयक लेखों के अतिरिक्त अनेक शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सिक्कों का प्रकाशन हुआ। 1877 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने उस समय तक प्राप्त मौर्यवंशी राजा अशोक के शिलालेखों का एक अनुपम ग्रन्थ तैयार किया, जिसका नाम था–Corpus Inscriptionum Indicarum (CII) Part I

1925 ईस्वी में ई० हुल्श ने Corpus Inscriptionum Indicarum (CII) भाग–1 का ही द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया। इस शृंखला के सात भाग प्रकाशित हो चुके है। इनमें गुप्त वंश, वाकाटक, कलचुरी चेदि, शिलाहार, चंदेल तथा परमार वंश के अभिलेख प्रकाशित किए गए है। इन खंडो को तैयार करने में स्टेन कोनो, एल०एच० ल्यूडर्स, डी०आर० भंडारकर, वि०वि० मिराशी, बी०च० छाबड़ा, जी०एस० गै, एच०वी० त्रिवेदी आदि प्रतिष्ठित विद्वानों का योगदान रहा।

1888 ईस्वी में जे०एफ० फ्लीट ने गुप्तों तथा उनके समकालीन राजाओं के शिलालेखों तथा दान पत्रों के संग्रह के रूप में एक ग्रंथ तैयार किया–Carpus Inscriptionum Indicarum Part III

आक्र्योलोजिकल सर्वे की ओर से 1892 ईस्वी में एपिग्राफिया इंडिका (Epigraphia Indica) नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसमें केवल शिलालेख और दानपत्र ही प्रकाशित होते थे। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल की अभिलेखवेत्ता के पद पर नियुक्ति हुई। उन्होंने मोहनजोदाड़ो, तक्षशिला, सांची, राजगिरी तथा सारनाथ आदि स्थानों की खुदाई का कार्य किया। अवैतनिक अभिलेखवेत्ता के रूप में नियुक्त रॉस ने फारसी व अरबी के अभिलेखों को एपिग्राफिया इंडिका में प्रकाशित करवाते रहें। 1887 ईस्वी में प्रथम Annual Repart on Indian Epigraphy का संपादन डॉ० हुल्श ने किया। प्रतिवर्ष इस प्रकाशन के अंतर्गत अभिलेख विषयक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती थी। इस प्रकार लगभग 100 वार्षिक प्रकाशन आ चुके है। 1887 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक के प्रकाशन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 1996 ईस्वी के वार्षिक रिपोर्ट का पुनर्मुद्रण 2005 ईस्वी में किया गया।

भारतीय विद्वानों में 1862 ईस्वी में भाऊदाजी ने रुद्रदामन् के गिरनार अभिलेख की प्रतिलिपि, अंग्रेजी पाठ व अनुवाद प्रकाशित किया। इस अभिलेख का प्रथम पाठ यद्यपि जेम्सप्रिंसेप द्वारा तैयार किया गया था, परंतु भाऊ दाजी ने प्रिंसेप के पाठ में संशोधन

Scanned with CamScanner

किया। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि रुद्रदामा चष्टन के पौत्र तथा जयदामा के पुत्र थे।

इसी वर्ष राजेन्द्र लाल मित्र ने बंगाल के सेन राजाओं से सम्बद्ध लेख तथा उत्तर गुप्त कालीन अफसद लेखों का प्रकाशन किया। भाऊ दाजी ने धारवाड़ तथा मैसूर से मिलने वाले अभिलेखों की चित्रात्मक प्रतियां तैयार की। भारतीय विद्वानों में डॉ० अल्तेकर का नाम प्रशंसनीय है जिन्होंने सिक्कों द्वारा भारतीय इतिहास के कई काल विभाग प्रकाशित किए।

1899 ईस्वी में भारत सरकार ने नई व्यवस्था चलाई। जिसमें सारे देश को पांच भागों में बांट दिया–

i. पंजाब, ii. मद्रास, iii. उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश, iv. बम्बई, v. बंगाल व आसाम। इन पांचों केन्द्रों में जो अधिकारी थे, वे प्रांतीय सरकार को इमारतों व टीलों के संरक्षण के विषय में केवल मात्र सलाह देते थे।

प्राचीन शोधकार्य के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं तथा सरकार ने प्राचीन शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, मुद्राएं, प्राचीनतम मूर्त्तियां तथा शिल्प के श्रेष्ठ नमूने आदि प्राचीन व बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी वस्तुओं के संग्रह एशियाटिक सोसाईटी बम्बई, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, अजमेर, लाहौर, पेशावर, लखनऊ आदि के संग्रहालयों में संग्रहीत हुए। भारतीय राज्यों में प्राचीन शोध सम्बन्धी कार्यालय स्थापित किए गए। भावनगर प्राचीन शोध संग्रह, एपिग्राफिया कर्नाटिका, एंटिक्वीटिज़ ऑफ चंबा स्टेट (Antiquities of Chamba State) नामक ग्रंथों में प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों आदि प्राचीन वस्तुओं को प्रकाशित किया जाने लगा। विभिन्न अभिलेखवेत्ताओं के द्वारा अभिलेखों से संबंधित **सूचियां** भी प्रकाशित की गई–

- A List of Inscriptions of North India in Brāhmi and its derivative scripts from about 200 AD by डी०आर० भण्डारकर
- A List of Inscriptions of North and South India about 400 AD by कीलहार्न
- A List of Brahmi Inscriptions from the earliest times to about 400 AD with exceptions of those of Ashoka by ल्यूडर्स
- Select Inscriptions डीं०सी० सरकार

Scanned with CamScanner

भूगोल संबंधित शब्दों के कोष (Gazetteer) भी प्रकाशित किए गए–

- Bombay Gazetteer
- Imperial Gazetteer of India
- Gujrat Gazette
- Maharashtra Gazette

अभिलेखशास्त्र के अध्ययन विषयक कई ग्रंथों का प्रणयन भी किया गया–

- 1918 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' ग्रंथ की रचना की।
- जर्मन भारती- विद् जार्ज ब्यूलर ने 'Indische palaeographie' नामक ग्रंथ 1904 ईस्वी में जर्मन भाषा में लिखा। 1966 ईस्वी में 'भारतीय पुरालिपि शास्त्र' के नाम से मंगलनाथ सिंह ने इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया।
- 1965 ईस्वी में डी०सी० सरकार ने Indian Epigraphy ग्रंथ की रचना की।
- 1963 ईस्वी में अहमद हसन दानी रचित Indian Paleography नामक पुस्तक पर्याप्त लाभदायक सिद्ध हुई।

• • •

Scanned with CamScanner